

13/6/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच  
को स्थानांतरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 13/6/18

के स्थान पर दिनांक 28.6.18 को आयोज्य लोक

अदालत बेंच स्थान कापड़ला

अवकाश प्रस्तुत हैं, तदनुसार सभी पक्षकारान सूचित हैं।

सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

28.6.18

पत्रावली ज्ञान राजस्व लोक अदालत न्याय अधिकारी  
2018 के कैंप कापड़ला में पेश हुई। न्यायिक  
मूलवाद में कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।  
इसलिए इस आवेदन में आगामी कार्यवाही  
इसी स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी  
समाप्त अवधि दि 30.06.18 को निरस्त किया जाता  
है। पत्रावली जलल शुभाद ठेकर कापड़ला 1 फरवरी

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन